COURT FEE
भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

विविध /16 जवलपुर विविध-9036-I-16

हरप्रसाद गोंड पुत्र स्व श्री छोटेलाल गौंड निवासी मकान नं. 110 , सिवनीटोला तहसील व जिला जवलपुर म.प्र. । ....अपीलार्थी

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर ।
2. राकेश अवस्थी पुत्र श्री शिवरतन अवस्थी निवासी 1591 गंगानगर मडफैया गढा वार्ड तहसील व जिला जवलपुर म.प्र. ।

...........प्रत्यार्थीगण

आवेदन पत्र वास्ते म.प्र भू–राज्य संहिता 1959 की धारा 32 के तहत

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदनपत्र निम्नानुसार है। :–

1. यहकि, आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर जवलपुर के प्रकरण क 43/अ–21/15–16 मे पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 के विरूद्ध निगरानी 2195/एक/2016 प्रस्तुत की गई जिसमे दिनांक 22.7.2016 से निगरानी स्वीकार की जाकर विकय की अनुमति प्रदान की गई ।
2. यहकि, श्रीमान न्यायालय के आदेश में टाइटल नेम मे निगरानी क 2196/एक/2016 अंकित हो गया है। जो कि निगरानी क 2195/एक/2016 है जिसे सुधार किया जाना न्याय संगत है। एवं आदेश भी स्केन होने पर दुसरे प्रकरण के पेज संलग्न हो गये है जिसे भी न्याय हित में सुधार किया जाना न्याय संगत है। अंतः निम्न संशोधन किया जाना न्याय संगत है–

   आदेश दिनांक 22–7–2016 के प्रत्येक पृष्ठ के टोप पर निगरानी क 2196/एक/2016 अंकित हो गया है जिसे सुधार कर प्रत्येक पृष्ठ पर निगरानी क 2195/एक/2016 अंकित किया जाना न्याय संगत है।
3. यहकि, उक्त प्रकरण में आदेष दूसरे प्रकरण का संलग्न हो गया है जिसे सही सुधार कर सही आदेश संलग्न किया जाना न्याय संगत है।
4. यहकि, अन्यु विन्दु सुनवाई के समय उठावे जावेगे।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधन किया जाना न्याय संगत है। अन्य सुविधा जो न्याय संगत हो कृप्या प्रदान करें।

आवेदक

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9036–एक / 16 जिला –जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश हरप्रसाद गौड विरूद्व मध्यप्रदेश शासन आदि	पक्षकारों / अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.8.16	आवेदक अधिवकता द्वारा आवेदन पत्र वास्ते म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निगरानी प्रकरण कमांक 2195–एक / 16 के स्थान 2196–एक / 16 प्रत्येक पेज पर अंकित हो गया है। उनके द्वारा सुधार करने का निवेदन किया गया । 2– आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी प्रकरण कमांक 2196–एक / 16 के स्थान पर निगरानी 2195–एक / 16 प्रत्येक पेज पर पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग माना जावेगी। मूल आदेश को सुधारा जावे। सदस्य	

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी कमाक /2016 जवलपुर निग - 2195 - I - 16

हरप्रसाद मरावी पिता श्री छोटेलाल मरावी निवासी 110 सिवनी टोला थाना बरगी तहसील व जिला जवलपुर म.प्र. . ।

..आवेदक

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर ।
2. महेन्द्र खरे पिता नरसिंग खरे निवासी 1776/1 चांदमारी तलैया जवलपुर म.प्र.

..........अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 4-7-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 43/अ–21/2015–2016 अपील मे पारित आदेश दिनांक 6.06.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन निगरानी

माननीय महोदय ,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एंव विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम टीगन प0ह0न0 40 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं. 379 रकवा कमशः 0.860है0 (2.12एकड) भूमि अपीलार्थी की स्वयं की निजी कृषि भूमि है जो भूमि कम उपजाउ है जिससे उसमे फसल पैदा नही हो पाती ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को विकय कर शेष बच रही भूमि की उन्नती , बाजार का कर्ज चुकाने हेतु भूमि को विकय किये जाने की अनुमति चाही गई है जो विकय हेतु प्रर्याप्त रूप से कारण है। इस हेतु प्रत्यर्थी से अनुवंध किया है ऐसी स्थिति मे उसे भूमि विकय की अनुमति दी जावे ।
3. यहकि, आवेदक के पास उक्त भूमि विकय करने के वाद भी आवेदक के पास मुकुनवारा एंव सिवनीटोला मे 3.10 हे. भूमि शेष बचना वताया गया है। एंव आवेदित भूमि बिकय पश्चात आवेदक के आर्थिक हितो पर कोई प्रभाव नही पडेगा ।
4. यहकि, माननीय श्रीमान न्यायलय द्वारा भी कई प्रकरणो मे उक्त भूमि विकय करने की अनुमति प्रदान की है इसलिये समान प्रकृति व समान नेचर का होने से उक्त भूमि विकय की अनुमति की आवश्यकता है।
5. यहकि, आलोच्य आदेश दिनांक से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जारही है जिसमे सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है।

निग-2196-I/16
जबलपुर

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश,ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2196/1/2016 जिला–जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि. एंव आवेदक के हस्ताक्षर
29.7.16.	यह निगरानी कलेक्टर , जवलपुर द्वारा प्रकरण कमाक 43/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06–06–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू– राज्य संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 कें तहत प्रस्तुत की गई हैं। 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया एवं उनकी ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एंव अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पस्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक हरप्रसाद मरावी पुत्र श्री छोटेलाल मरावी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एंव आधिपत्य की ग्राम टींगन प.ह.न. 40 रा.नि. मं. बरगी तहसील व जिला जवलपुर स्थित भूमि खसरा नं 379 रकवा 0.860हे. (2.12 एकड) को अनावेदक महेन्द्र खरे पिता श्री नरसिग खरे को विकय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। 3– कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया ।अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार बंरगी को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा	

निग० -2196- I /16
ग्वालियर

विधिवत जांच कर तथा उभय पक्ष के कथन लेने के उंपरात भूमि विकय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होन के उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष शीघ्र सुनवाई कर अनुमति देने हेतु आवेदन पेश किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है। कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पर काफी कर्ज एवं बैक का ऋण वकाया है , इस कारण उसे चुकाने हेतु शीघ्र सुनवाई का आवेदन दिया गया है प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के कारण उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया था ऐसी स्थिति मे कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर करना चाहिए था उनके द्वारा ऐसा न करते हुये प्रकरण में 3 माह आगे की तिथी नियत कर दी है जो न्यायोचित नही है। दर्शित परिस्थिति में इस न्यायालय द्वारा ही उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का निराकरण गुण दोष पर करते हुये उन्हे आवेदित भूमि विकय की अनुमति दी जाये।

4— मेरे द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं , तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन मे स्पस्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया गया जाकर इश्तहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंन्तु इश्तहार पर कोई आक्षेप नही आया। प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नही है,भूमि विकय करने से आवेदन पर विपरीत असर नही पडेगा । उक्त भूमि विकय के उंपरात आवेदक के पास 3.10 हे0 भूमि ग्राम मुकुनवारा एवं सिवनीटोला में शेष बचती है । अतः प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात आवेदक को उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य की

निग॰ 2196. 5/16 (राजस्व)

ग्राम टींगन प.ह.न. 40 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर मे स्थिति भूमि खसरा नं. 379 रकबा 0.860हे. (2.12 एकड) भूमि को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

1–भूमि का क्रय–विक्रय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के तीन माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2–भूमि का क्रय –विक्रय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा ।

3–केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

सदस्य